राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड
53वीं बैठक दिनांक 01 जून, 2015 की कार्य सूची

एजेण्डा संख्या – 1

एस.एल.बी.सी. की 52वीं बैठक दिनांक 13 फरवरी, 2015 के कार्य बिंदु पत्रांक प्रशा.का./एस.एल.बी.सी./26/832 दिनांक 03 मार्च, 2015 एवं प्रशा.का./एस.एल.बी.सी./26/834 एवं 835 दिनांक 04 मार्च, 2015 द्वारा प्रेषित कर दिए गए थे, जिन पर कोई सुझाव/आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। अतः उनकी पुष्टि मान ली गयी है।

एजेण्डा संख्या – 2

केंद्र सरकार की महत्वकांक्षी बीमा / पेंशन योजना

केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित निम्नलिखित महत्वकांक्षी बीमा / पेंशन योजनाओं का लोकार्पण दिनांक 09 मई, 2015 को किया गया, जिनका क्रियान्वयन दिनांक 01 जून, 2015 से सभी राज्यों में आरम्भ किया जाएगा।
इस योजना के अंतर्गत जिन व्यक्तियों का बैंक खाता सी.बी.एस. प्रणाली के तहत खुला हुआ है, वे सभी पात्र होंगे।

क) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

इस दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत सिर्फ 12/- रुपये प्रतिवर्ष प्रीमियम देकर **₹ 2 लाख** का बीमा होगा और बैंक खाताधारक की आयु 18 से 70 वर्ष के मध्म होनी चाहिए।

इस योजना के अंतर्गत दिनांक 15 मई, 2015 तक कुल 6,03,698 व्यक्त्यिों ने विभिन्न बैंकों में अपना पंजीकरण करवाया है। सभी बैंकों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक बैंक खाताधारकों का नामांकन इस योजना के अंतर्गत करवाना सुनिश्चित करें, ताकि दिनांक 01 जून, 2015 से उनके खाते को ऑटो-डेबिट की प्रक्रिया आरम्भ कर उन्हें बीमित किया जा सके।

ख) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना

इस जीवन बीमा योजना के अंतर्गत सिर्फ 330/- रुपये प्रतिवर्ष प्रीमियम देकर **₹ 2 लाख** का जीवन बीमा होगा और बैंक खाताधारक की आयु 18 से 50 वर्ष के मध्म होनी चाहिए।

इस योजना के अंतर्गत दिनांक 15 मई, 2015 तक कुल 1,66,472 व्यक्यिों ने विभिन्न बैंकों में अपना पंजीकरण करवाया है। सभी बैंकों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक बैंक खाताधारकों का नामांकन इस योजना के अंतर्गत करवाना सुनिश्चित करें, ताकि दिनांक 01 जून, 2015 से उनके खाते को ऑटो-डेबिट की प्रक्रिया आरम्भ कर उन्हें बीमित किया जा सके।

ग) अटल पेंशन योजना

इस योजना के अंतर्गत वे सभी व्यक्ति पात्र हैं जो किसी भी सांविधिक सुरक्षा योजना का सदस्य न हो और उसकी आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य हो। अटल पेंशन योजना की विशेषता यह है कि इसमें **₹ 1000/- से ₹ 5000/- प्रतिमाह** पेंशन देने की गारंटी है। इस योजना के अंतर्गत दिनांक 15 मई, 2015 तक कुल 55 व्यक्तियों का पंजीकरण किया जा चुका है।

एजेण्डा संख्या – 3

प्रधानमंत्री जन-धन योजना

इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2011 की जनगणना के आँकड़ों के आधार पर उत्तराखंड राज्य के समस्त हाऊसहोल्ड को बैंकिंग सुविधा से जोड़ने हेतु सभी के बैंक खाते खोले जा चुके हैं, केवल उन हाऊसहोल्ड के सदस्यों का बैंक खाता नहीं खोला जा सका है जो वर्तमान में अपने गाँव में प्रवास नहीं कर रहे हैं।

क्षेत्र	हाऊसहोल्ड के सर्वे किए गए	हाऊसहोल्ड के खाते खोले गए	शेष हाऊसहोल्ड	रू-पे कार्ड जारी
कुल	2056975	2019424	37551 *	11,91,036

सभी हाऊसहोल्ड के कम से कम एक सदस्य का बैंक खाता खोले जाने का संतृप्ति प्रमाण पत्र सभी जिला अधिकारियों से प्राप्त हो चुका है।

*** जो हाऊसहोल्ड मूल निवास स्थान पर उपलब्ध नहीं है।**

एजेण्डा संख्या – 4

ब्रॉड बैण्ड कनेक्टिविटी

एस.एल.बी.सी. द्वारा 1397 एस.एस.ए., जहाँ वर्तमान में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने हेतु टेलीकॉम कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है, की सूची पूर्ण विवरण (एस.एस.ए., ग्राम, विलेज कोड, पिन कोड, जनसंख्या आदि) सहित बी.एस.एन.एल. को उपलब्ध करा दी गयी है। दिनांक 17 मार्च, 2015 को **Director TERM, DOT, Uttarakhand** की बैठक अवगत कराया गया कि राज्य के शेष सभी 1397 एस.एस.ए. में निकट भविष्य में टेलीकॉम कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना कठिन है, लेकिन जिन बैंकों के बी.सी. **Bank's Common Technology** का उपयोग कर रहे हैं, उन्हें **VSAT** के **Shared Band Width Basis** माध्यम से टेलीकॉम कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जा सकती है जिसकी अनुमानित लागत अलग-अलग **VSAT** लगाने की तुलना में सस्ता पड़ेगा।

एजेण्डा संख्या – 5

आपदा – राहत

पिछले महीने राज्य में हुई ओलावृष्टि, अत्यधिक वर्षा एवं आँधी-तूफान से फसलों को हुई व्यापक क्षति को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार के शासनादेश (1268 / XVIII – (2) / 2015 – 15 (34) / 2013 दिनांक 22 अप्रैल, 2015) के अनुसार संपूर्ण राज्य को आपदाग्रस्त घोषित किया गया है।

इसी क्रम में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की विशेष बैठक दिनांक 16 अप्रैल, 2015 के कार्यवृत्त समस्त बैंकों, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड एवं राज्य सरकार के संबंधित विभागों को दिनांक 25 अप्रैल, 2015 को आवश्यक कार्रवाई करने हेतु प्रेषित किया गया है।

एजेण्डा संख्या – 6

<u>ऋण-जमा अनुपात की समीक्षा :</u>

राज्य का ऋण-जमा अनुपात लगभग 60% है, परंतु निम्न बैकों का अब भी ऋण-जमा अनुपात **40 प्रतिशत** से कम है, उन्हें इसे बढ़ाने हेतु विशेष कदम उठाने होंगे:-

बैंक	मार्च, 2015
आई.सी.आई.सी.आई. बैंक	34 %
फेडरल बैंक	33 %
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	29 %
विजया बैंक	27 %
जे. एण्ड के. बैंक	18 %
यस बैंक	17 %
इण्डियन बैंक	15 %

निम्न जिलों का ऋण-जमा अनुपात 40 प्रतिशत से कम है :

जिला	मार्च, 2015
पौड़ी	36 %
पिथौरागढ़	33 %
टिहरी	32 %
चम्पावत	29 %
बागेश्वर	28 %
चमोली	28 %
अल्मोड़ा	23 %

एजेण्डा संख्या – 7

<u>वार्षिक ऋण योजना वर्ष 2014-15 (ANNUAL CREDIT PLAN)</u>

बैंकों के लिए वार्षिक ऋण योजना 2014-15 के निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष मार्च, 2015 तक की गई उपलब्धि निम्नवत् है :

(₹ करोड़ों में)

गतिविधि	**वार्षिक लक्ष्य**	**उपलब्धि**	**उपलब्धि प्रतिशत**
फार्म सेक्टर	5912	4915	83 %
नॉन-फार्म सेक्टर	2450	2199	90 %
अन्य प्राथमिक क्षेत्र	4143	3294	80 %
योग	**12505**	**10408**	**83 %**

भारतीय रिजर्व बैंक के मानकानुसार वर्ष के चतुर्थ त्रैमास तक वार्षिक ऋण योजना की उपलब्धि 100 % होनी चाहिए, परंतु **निम्न बैंकों** की **उपलब्धि** 75 % **से भी कम** रही है,

बैंक	**मार्च, 2015**
पंजाब एण्ड सिंध बैंक	**73 %**
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	**72 %**
आंध्रा बैंक	**63 %**
बैंक ऑफ इण्डिया	**62 %**
यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया	**58 %**
विजया बैंक	**51 %**
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	**49 %**
आई.सी.आई.सी.आई. बैंक	**47 %**
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	**42 %**
कारपोरेशन बैंक	**42 %**
इण्डियन बैंक	**25 %**

निम्न जिलों के वार्षिक ऋण योजना की उपलब्धि 75% कम रही है :

जिला	मार्च, 2015
बागेश्वर	71 %
नैनीताल	66 %
अल्मोड़ा	66 %
चमोली	57 %
टिहरी	56 %

एजेण्डा संख्या – 8

आधार कार्ड

बैंक खातों में **आधार कार्ड संख्या** जोड़ने की प्रक्रिया धीमी गति से चल रही है, क्योंकि राज्य में अधिकांश व्यक्तियों को आधार कार्ड अभी तक जारी नहीं किया जा सका है। बैंकों ने अपने ग्राहकों के **4,24,775 खातों** में आधार कार्ड संख्या अंकित कर दिए हैं। राज्य सरकार / संबंधित एजेन्सी से पुनः अनुरोध है कि राज्य में समस्त जनसाधारण को **आधार कार्ड** उपलब्ध करावाने की व्यवस्था करें ताकि उन्हें बैंक खातों में जोड़ा जा सके।

एजेण्डा संख्या – 9

आरसेटी संस्थान हेतु निःशुल्क भूमि आवंटन

राज्य प्रशासन से पुनः अनुरोध है कि निम्न जिलों में बैंकों द्वारा आरसेटी संस्थान स्थापित करने हेतु निःशुल्क भूमि दिनांक 30 जून, 2015 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जाए, क्योंकि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने प्रायोजक बैंकों को निर्देशित किया है कि वे संस्थान हेतु भवन निर्माण का कार्य दिनांक 30 जून, 2015 तक आवश्यक रूप से आरम्भ लें और निर्माण कार्य दिनांक 30 जून, 2016 पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

जिला	वर्तमान स्थिति	टिप्पणी
उत्तरकाशी	जिला प्रशासन द्वारा चयनित भूमि आरसेटी संस्थान को हस्तांतरित किया जाना है।	भूमि हस्तांतरण करने की प्रक्रिया प्रमुख सचिव, ऊर्जा अनुभाग – 2, उत्तराखंड शासन स्तर पर प्रतीक्षित है।

रुद्रप्रया ग	पूर्व में चयनित भूमि संस्थान स्थापित करने हेतु उपयोगी नहीं थी, इसलिए जिला प्रशासन से आग्रह किया गया था कि वैकल्पिक स्थान की व्यवस्था की जाए।	प्रशासन से अनुरोध है कि वर्तमान में चल रहे आरसेटी संस्थान के भवन को बैंक हेतु पट्टे **(Lease)** पर देने की व्यवस्था की जाए, अन्यथा रूद्रप्रयाग शहर में कम से कम 500 वर्गमीटर भूमि उपलब्ध करायी जाए।
देहरादून	पूर्व में आवंटित भूमि जो **active flood zone** में आने के कारण, प्रशासन द्वारा हस्तांतरण निरस्त कर दिया गया है। अतः भूमि, का पुन: चयन कर, आवंटन की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण की जाए।	आरसेटी संस्थान, ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स द्वारा संचालित किया जा रहा है और उन्होंने प्रशासन से पुन: अनुरोध किया है कि वैकल्पिक भूमि की व्यवस्था की जाए।
टिहरी	आरसेटी संस्थान हेतु चिन्हित भूमि की पैमाइश जिला के राजस्व विभाग द्वारा करवायी जानी है जिसके उपरांत जिला प्रशासन से हस्तांतरण हेतु आग्रह किया जा सके।	निदेशक, आरसेटी ने दिनांक 19 मई, 2015 को अधिशासी अभियन्ता, अवस्थापना (पुनर्वास) खण्ड, नई टिहरी से आग्रह किया है कि चिन्हित भूमि का कब्जा (2800 वर्गमीटर) लेने हेतु, औपचारिकताएं पूर्ण कर, तिथि नियत की जाए।
पिथौरागढ़	निदेशक, आरसेटी, पिथौरागढ़ ने अवगत कराया है कि भूमि, जोकि उद्योग विभाग के नाम दर्ज है, हस्तांतरण करने हेतु जिला प्रशासन ने सचिवालय, उत्तराखंड शासन को पत्र प्रेषित किया है।	भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया शासन स्तर पर लम्बित है।

सचिव (ग्राम्य विकास), उत्तराखंड शासन एवं भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली के साथ दिनांक 07 मई, 2015 को की गयी बैठक में उक्त जिलों के भूमि आवंटन में आ रही कठिनाइयों का समाधान पर चर्चा की गयी।

शासन से अनुरोध है कि यदि दिनांक 30 जून, 2015 तक भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाती है तो बैंक विवश होकर इन जिलों पर अपने संस्थान बंद करने पर बाध्य होंगे क्योंकि किराये के भवन में संस्थान का संचालन करने में बैंकों को अतिरिक्त भार वहन करना पड़ रहा है।

एजेण्डा संख्या – 10

<u>वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना</u>

उक्त योजना के अंतर्गत होटल भवन निर्माण हेतु आवेदकों द्वारा प्रस्तावित निर्माण स्थल को कृषि भूमि से व्यवसायिक भूमि में परिवर्तित कराने में कठिनाई होती है, जिसके कारण बैंकों को ऋण निस्तारण करने में विलम्ब होता है। अतः राज्य प्रशासन से पुनः अनुरोध है कि इस विषय में समुचित अध्यादेश जारी करें।

एजेण्डा संख्या – 11

<u>बैंक द्वारा भूमि अभिलेखों पर ऑन-लाइन प्रभार का सृजन</u>

राज्य सरकार से अनुरोध है कि एन.आई.सी. द्वारा तैयार किया गया साफ्टवेयर राजस्व विभाग, उत्तराखंड शासन पर **Security Audit** हेतु लम्बित है अतः इसे तहसील / सब-रजिस्ट्रार कार्यालय स्तर पर कियान्वित करें और बैंकों को उपयोग करने की अनुमति प्रदान की जाए।

वर्तमान में अयांत्रिक प्रक्रिया **(Manual Process)** के अंतर्गत तहसील / सब-रजिस्ट्रार स्तर पर प्रभार अंकित होकर बैंकों में इसकी सूचना प्राप्त होने में अनावश्यक विलम्ब होता है।

एजेण्डा संख्या – 12

<u>वसूली प्रमाण पत्र का ऑन-लाइन फाइलिंग</u>

बैंकों द्वारा जारी किए गए वसूली प्रमाण पत्र को जिला स्तर पर सी.आर.ए. कार्यालय में कम्प्यूट्रीकृत कराया जाए, ताकि बैंकों के साथ उनकी संख्या व राशियों के मिलान और वसूली की प्रक्रिया सरल हो सके। इसी क्रम में राज्य सरकार से पुनः अनुरोध है कि बैंकों को **राजस्व विभाग** के **वेबपोर्टल** पर वसूली प्रमाण पत्रों को **" ऑन-लाइन फाइलिंग "** करने की सुविधा प्रदान की जाए।

एजेण्डा संख्या – 13

<u>फसल बीमा</u>

फसल बीमा योजना के अंतर्गत जारी किए गए अधिसूचना एवं दिशानिर्देशों के अनुरूप वे सभी **नोटिफाइड क्रॉप**, जिसके लिए कृषकों को बैंक ऋण दिए जाते हैं, का फसली बीमा करना अनिवार्य है। अतः सभी बैंकों को निर्देशित किया जाता है कि कृषि ऋण प्रदान करते समय ही बीमा प्रीमियम की राशि ऋणी के खाते से नामे कर संबंधित बीमा कंपनी को निर्धारित तिथि तक आवश्यक रूप से भेजना सुनिश्चित करें।

एजेण्डा संख्या – 14

<u>शिकायत निवारण केंद्र</u>

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार पेंशनधारकों के प्रपत्रों का संसाधन एवं जन शिकायतों के निवारण हेतु राज्य में एक शिकायात निवारण केंद्र की स्थापना की जानी प्रस्तावित है।

एजेण्डा संख्या – 15

<u>सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाएं</u>

एस.एल.बी.सी. की पिछली बैठक के निर्णयानुसार समस्त संबंधित विभागों से अनुरोध है कि विभिन्न विकास योजनाओं के अंतर्गत प्रायोजित आवेदनों को आगमी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय त्रैमास में क्रमशः 33%, 33% एवं 34% में बैंकों को प्रेषित करें। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 31 मार्च, 2015 तक की प्रगति निम्नवत् है :

सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बैंकों द्वारा की गयी प्रगति

(01.04.2014 से 31.03.2015)

योजना	लक्ष्य	आवेदन प्रेषित	आवेदन निस्तारित
वीरचंद्रसिंह पर्यटन योजना i) वाहन ऋण ii) गैर-वाहन ऋण	500 250 250	586 330 256	427 261 166
पी.एम.ई.जी.पी.. i) डी.आई.सी. II). के.वी.आई.सी. I iii) के.वी.आई.बी.	1800 720 540 540	2019 1135 499 385	1237 479 446 312
एन.यू.एल.एम.	1329	1501	354
एस.सी.पी. i) अनुसूचित जाति ii) अनुसूचित जनजाति iii) अल्पसंख्यक समुदाय* *(270 लार्भाथियों को निगम द्वारा सीधे ऋण प्रदान किया गया है)	3281 1567 1500 214	2567 1889 602 76	2122 1517 529 76

एजेण्डा संख्या – 16

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य किसी महत्वूपर्ण विषय पर चर्चा।

****